प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 07.03.2019

आयकर विभाग द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में टी0डी0एस0 कटौती से सम्बन्ध में एक सर्वे किया गया। जिसमें आयकर विभाग के पूर्व में प्रेषित नोटिस के क्रम में पर्यटन विकास परिषद द्वारा उपलब्ध करायें गये आयकर कटौती के विवरण का सम्बन्धित लेखा अभिलेखों से मिलान किया गया। सर्वे में 2007–08 से वर्तमान वित्तीय वर्ष के आयकर सम्बन्धी अभिलेखों के सापेक्ष की गयी टी0डी0एस0 कटौती का परीक्षण किया गया।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी0 रविशंकर ने बताया कि यह आयकर विभाग द्वारा किया जाने वाला एक सर्वे था, जिसमें पर्यटन विकास परिषद द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। उन्होने कहा कि विभिन्न देयकों के भुगतान के समय लेखा अनुभाग द्वारा नियमानुसार कटौती की जाती है और उन्हें अभिलेखित कर संरक्षित किया जाता है। उन्होंने बताया कि सर्वे में आयकर विभाग के प्रतिनिधियों को अपेक्षित जानकारी तथा साक्ष उपलब्ध करा दिये गये है जिनका परीक्षण करने के उपरान्त सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कमल किशोर जोशी

जनसंपर्क अधिकारी